# कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेन्ज उदयपुर

Tele & Fax No 0294-2483020

Email Id : digprisons-udkt-rj@nic.in, digrangeudaipur@gmail.com

क्रमांकः स्था. / उ.म.नि. / प्रहरी भर्ती–2018 / 2019–20 / 4302-23 दिनांकः– 09/09/2019

## –:आदेशः–

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम–1998 के नियम 32 के अंतर्गत प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में उदयपुर, टी.एस.पी., कोटा, अजमेर मण्डल हेतु गठित चयन समिति द्वारा निम्नांकित आशार्थियों को प्रहरी पद पर उदयपुर, टी.एस.पी., कोटा, अजमेर मण्डल से चयन किये जाने के फलस्वरुप निम्नांकित शर्तो के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

नवनियुक्त आशार्थी दिनांक 11.09.2019 को उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज कार्यालय उदयपुर पर आवश्यक रुप से उपस्थित होवे। साथ ही आदेश में वर्णित दस्तावेज / शपथ पत्र आवश्यक रुप से साथ लेकर जावे।

| S. No. | Mandal | Roll Number | Name | FName | Caste | DOB | Candidate Photo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AJMER | 28030108000326 | NAVNEET SINGH SHEKHAWAT | VIJENDRA SINGH SHEKHAWAT | GEN | 19-06-1995 | |
| 2 | AJMER | 20020105006662 | SANDEEP KUMAR | GANESH | OBC | 18-10-1994 | |
| 3 | AJMER | 20020105002479 | RAM SINGH | KAILASH YADAV | OBC | 01-03-1996 | |
| 4 | AJMER | 20020105001409 | VISHRAM MEENA | KALYAN SHAI MEENA | ST | 13-09-1993 | |
| 5 | AJMER | 20020105005145 | RAMAVATAR | HADAMANA RAM | SC | 04-07-1992 | |
| 6 | AJMER | 28030105006816 | KULDEEP SINGH | SAWAI SINGH | OBC | 16-04-1980 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | AJMER | 28030105004171 | LADI KUMAWAT | HIRA LAL KUMAWAT | OBC | 24-03-1994 | 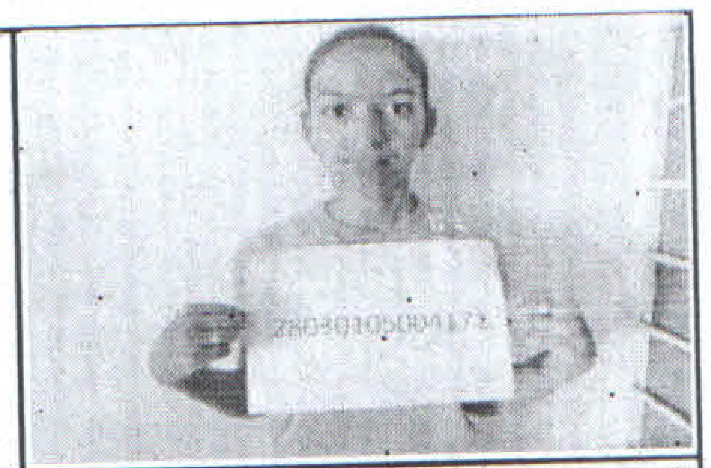 |
| 8 | KOTA | 21030605006720 | MANDEEP SINGH | LAL SINGH | GEN | 28-05-1993 | |
| 9 | KOTA | 21030603000540 | RATAN LAL SHARMA | RADHESHYAM SHARMA | GEN | 10-08-1995 | 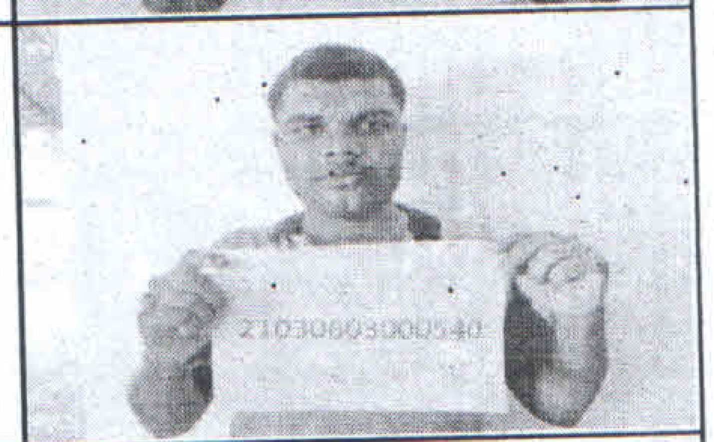 |
| 10 | KOTA | 21030604000481 | NARESH KUMAR BAIRWA | GIRRAJ PRASAD BAIRWA | SC | 10-01-1997 | 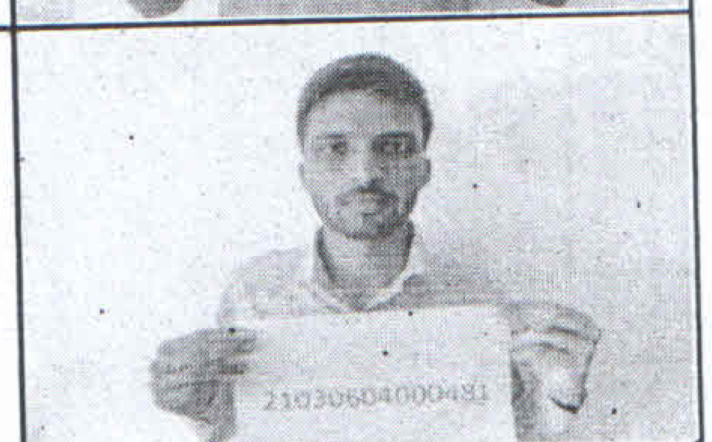 |
| 11 | KOTA | 21030607000694 | RUCCHI KUMARI | BALA RAM | GEN | 05-10-1997 | 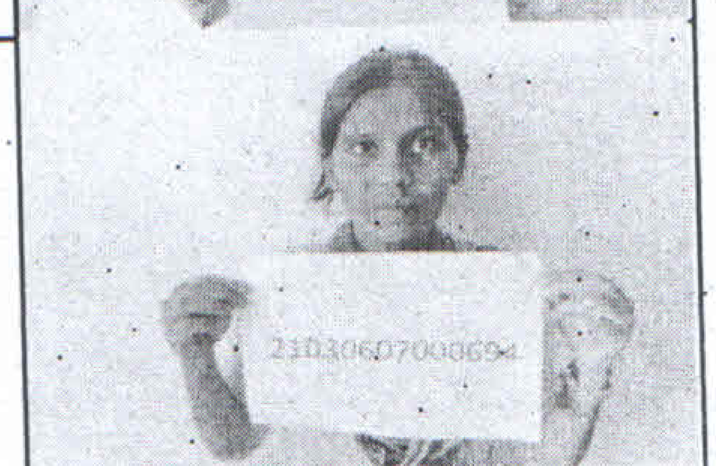 |
| 12 | TSP | 20020707000068 | SURESH KUMAR | LAXMAN LAL | ST | 19-06-1992 | 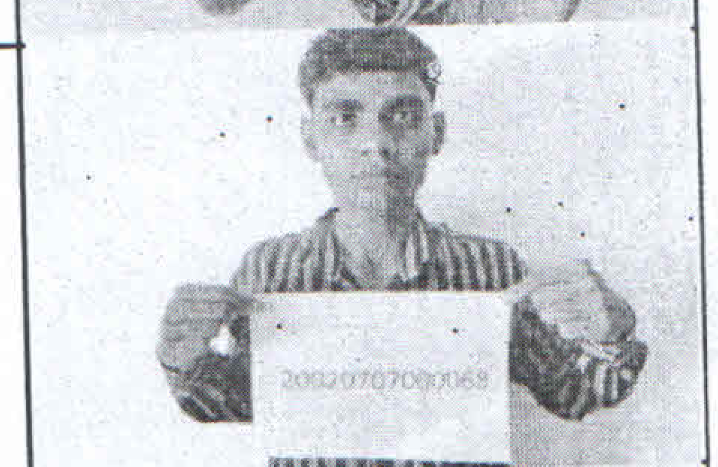 |
| 13 | UDAIPUR | 20030801000005 | NEETU KUMARI | GULJARI LAL | OBC | 11-01-1996 | 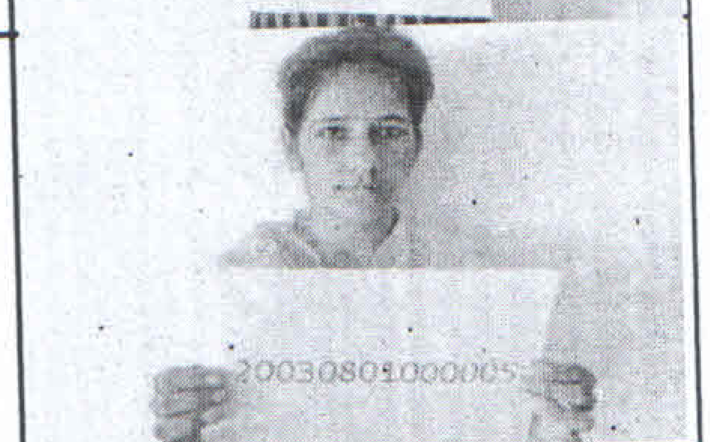 |

1. राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ–डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रूपये 12800/– प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही प्रहरी पद का पे मेट्रिक्स के लेवल–L-3 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।

2. पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते है।

3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होगें एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार नहीं होगी।

4. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।

5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा । कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा । पूर्ण कलैण्डर वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।

6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।

7. वित विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक से न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में अंशदान की नियमानुसार कटौती होगी।

8. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार मेडीक्लेम इंशोरेन्स योजना प्रभावी होगी ।

9. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए–II/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

10. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।

11. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 की पालना में धुम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।

12. आशार्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगें, अन्य पद ग्रहण करना चाहेंगें तो ऐसा करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त समस्त वेतन एवं भत्ते व उनके प्रशिक्षण पर हुये व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करानी होंगीं। अभ्यर्थी को इस संबंध में विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करना होगा।

13. यह नियुक्ति राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तो के अध्यधीन है।

14. आशार्थियो को उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा ।

15. यह कि अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 11.09.2019 को उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावें।

डी.ओ.बी. नं. 36
9/9/2019

(सुरेन्द्र सिंह शेखावत)
उपमहानिरीक्षक कारागार
उदयपुर–कोटा–अजमेर रेंज
उदयपुर

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–
1. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप–12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार,राजस्थान जयपुर को उनके पत्रांक80333–38 दिनांक14.08.2019 के क्रम में।
3. वित्तीय सलाहकार महानिदेशालय कारागार राजस्थान जयपुर।
4. अधीक्षक प्रशिक्षण शाखा, मुख्यालय कारागार राजस्थान जयपुर।
5. प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर।
6. मण्डलाधिकारी, अधीक्षक एवं उपाधीक्षक उच्च सुरक्षा/जिला कारागृह.................................................
7. प्रभारी संबंधित कारागृह।
8. श्री ................................................................................................................................ को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित तिथि को यथा समय सभी मूल दस्तावेजो व शपथ पत्रों के साथ अपनी उपस्थिति उपमहानिरीक्षक कारागार रेंज उदयपुर के समक्ष देवे।
9. संबंधित की निजी पत्रावली /रक्षक पत्रावली।

उपमहानिरीक्षक कारागार
उदयपुर–कोटा–अजमेर रेंज
उदयपुर